बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.05.2015

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 में निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से श्री पी0 के0 दास, महानिदेशक एवं श्री एन0 सी0 स्वैन, निदेशक द्वारा बिहार राज्य का दौरा किया गया। उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में निदेशक, आयकर (अन्वेषण), बिहार, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं राज्य स्तरीय बैंक नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई तथा आसन्न निर्वाचन के मद्देनजर व्यय अनुश्रवण उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही विगत निर्वाचनों में व्यय अनुश्रवण से संबंधी की गई कार्रवाईयों का आकलन तथा आसन्न निर्वाचन हेतु प्रभावी कार्य–योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

इसके पश्चात् बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा भी नई दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय से सम्मिलित हुए।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आयोग के दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया तथा उन्हें यह जानकारी दी गई कि आगामी निर्वाचन में सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय संबंधी प्रतिवेदन को ऑन दाखिल किया जाना होगा। साथ ही विगत निर्वाचनों में दायर वादों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा भी की गई।

श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा बिहार राज्य में दिनांक 15.05.2015 से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से की गई तथा आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण पूर्व एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान किये जाने वाले कार्यों को निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप पूर्ण करने का निदेश दिया गया। वैसे निर्वाचक, जिनका नाम एक से अधिक स्थान पर निर्वाचक सूची में सम्मिलित है, उन्हें अपना नाम स्वैच्छिक प्रकटीकरण हेतु अभियान चलाये जाने का निदेश सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही उनके द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन तथा जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना तैयार करने का निदेश भी दिया गया।